[2021] 4 उम. नि. प. 97

प्रेम शंकर प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 1209]

21 अक्तूबर, 2021

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438, 82 और 83 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 और 420] – अग्रिम जमानत – अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध छल करने का अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्ट्या मामला पाए जाने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना – अभियुक्त फरार हो जाना – न्यायालय द्वारा अभियुक्त को फरार उद्घोषित करते हुए उसके हाजिर होने के लिए कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन मंजूर किया जाना – संधार्यता – जहां अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों के संबंध में अन्वेषण करने के पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया हो, न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त फरार चल रहा हो और उसकी हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गई हों और मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अभियुक्त का आवेदन खारिज कर दिया गया हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करते हुए मंजूर की गई अग्रिम जमानत को संधार्य नहीं रखा जा सकता है और उसे रद्द करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2

के विरुद्ध छपरा टाउन पुलिस थाना, सारण में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 407, 468 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 2018 के मामला सं. 453 के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सारण, छपरा द्वारा तारीख 19 दिसंबर, 2018 को एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् से प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त फरार चल रहा है और गिरफ्तारी के वारंट की तामीली से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है । उसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन एक उद्घोषणा जारी की । केवल उसके पश्चात् और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के जारी होने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जनवरी, 2019 के एक विस्तृत आदेश द्वारा उक्त अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया और अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना को गुणागुण के आधार पर तथा इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि चूंकि अभियुक्त फरार है और यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अधीन कार्यवाहियां जारी की गई हैं, इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए हकदार नहीं है । उसके पश्चात् अभियुक्त ने वर्तमान आवेदन के द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन किया और उच्च न्यायालय को विनिर्दिष्ट रूप से यह बताया गया था कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन उद्घोषणा की आदेशिका जारी की गई है, इसलिए अभियुक्त को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद पूर्वोक्त सुसंगत पहलू की अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अग्रिम जमानत यह मत व्यक्त करते हुए मंजूर की कि उसकी गिरफ्तारी/निचले न्यायालय में छह सप्ताह के भीतर अभ्यर्पण करने की दशा में उसे विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सारण, छपरा के समाधानप्रद और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अधीन यथा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 10,000/- रुपए के जमानत बंधपत्र के साथ-साथ इतनी ही रकम के दो प्रतिभू प्रस्तुत

करने पर जमानत पर छोड़ दिया जाए । प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल इत्तिलाकर्ता/शिकायतकर्ता-अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए एक आरोप पत्र भी फाइल किया गया है । इस प्रकार, यह पाया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथमदृष्ट्या मामला है । अभिलेख पर यह आया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा बहुत पहले तारीख 19 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2019 को पारित किए गए आदेश के अनुसरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं । केवल उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सारण द्वारा एक सकारण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था । गुणागुण के आधार पर उपरोक्त मताभिव्यक्तियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त फरार है और यहां तक कि बहुत पहले तारीख 10 जनवरी, 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त सुसंगत पहलुओं की अनदेखी कर दी और प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को यह मत व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है । छल आदि करने के विनिर्दिष्ट अभिकथनों पर, जिन पर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा इन पर कतई विचार नहीं किया गया था । यहां तक कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करने के तथ्य की मात्र यह मत व्यक्त करते हुए कि "चाहे जैसी भी स्थिति हो" अनदेखी कर दी थी । अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए पूर्वोक्त सुसंगत पहलू की उच्च

न्यायालय द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए थी और उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर अति गंभीरतापूर्वक न कि नैमित्तिक रूप से विचार किया जाना चाहिए था । जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए की गई इन मताभिव्यक्तियां का संबंध है कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है और इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार है, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है । किसी कारबार संव्यवहार के मामले में भी भारतीय दंड संहिता के अधीन विशिष्ट रूप से धारा 406, 420, 467 और 468 इत्यादि के अधीन अपराध हो सकते हैं । जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है वह अभिकथन और अभियोग की प्रकृति है न कि यह कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को धारा 406 और 420 इत्यादि के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया है । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए तारीख 14 अगस्त, 2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य है और अभिखंडित तथा अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नुसार अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । (पैरा 7.1, 7.2, 8 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 2 एस. सी. सी. 171 : **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **प्रदीप शर्मा** ;	4.5
[2005]	(2005) 4 एस. सी. सी. 303 : **अदरी धरन दास** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 1209.

2019 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 50530 में पटना उच्च

न्यायालय के तारीख 14 अगस्त, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री रितुराज विश्वास, रितुराज चौधरी और (सुश्री) सुजाया बर्धन

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री देवाशीष भरूका, (सुश्री) जस्टिन जॉर्ज, मानस स्याल और अभिषेक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – अभियुक्त, मूल इत्तिलाकर्ता-शिकायतकर्ता ने 2019 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 50530 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 14 अगस्त, 2019 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त दांडिक प्रकीर्ण आवेदन को मंजूर किया था और इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की थी ।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध छपरा टाउन पुलिस थाना, सारण में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 407, 468 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 2018 के मामला सं. 453 के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सारण, छपरा द्वारा तारीख 19 दिसंबर, 2018 को एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् से प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त फरार चल रहा है और गिरफ्तारी के वारंट की तामीली से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है । उसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन एक उद्घोषणा जारी की । केवल उसके पश्चात् और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के जारी होने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जनवरी, 2019 के एक विस्तृत आदेश द्वारा उक्त अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को

खारिज कर दिया और अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना को गुणागुण के आधार पर तथा इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि चूंकि अभियुक्त फरार है और यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अधीन कार्यवाहियां जारी की गई हैं, इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए हकदार नहीं है । उसके पश्चात् अभियुक्त ने वर्तमान आवेदन के द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन किया और उच्च न्यायालय को विनिर्दिष्ट रूप से यह बताया गया था कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन उद्घोषणा की आदेशिका जारी की गई है, इसलिए अभियुक्त को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद पूर्वोक्त सुसंगत पहलू की अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अग्रिम जमानत यह मत व्यक्त करते हुए मंजूर की कि उसकी गिरफ्तारी/निचले न्यायालय में छह सप्ताह के भीतर अभ्यर्पण करने की दशा में उसे विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सारण, छपरा के समाधानप्रद और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अधीन यथा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 10,000/- रुपए के जमानत बंधपत्र के साथ-साथ इतनी ही रकम के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ दिया जाए ।

3. प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल इत्तिलाकर्ता/शिकायतकर्ता-अपीलार्थी ने यह अपील फाइल की है ।

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री रितुराज विश्वास ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के आवेदन को मंजूर करके गंभीर गलती कारित की है ।

4.1 यह दलील दी गई कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा था और यहां तक कि अन्वेषक अभिकरण के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए जाने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के

अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं, उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत के आवेदन को मंजूर नहीं करना चाहिए था ।

4.2 यह दलील दी गई कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के तथ्य को उच्च न्यायालय को बताया गया था, तो भी उच्च न्यायालय द्वारा इसे आसानी से अनदेखा कर दिया गया था ।

4.3 यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि उच्च न्यायालय उन अभिकथित अपराधों अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 के अधीन अपराधों की गंभीरता पर कतई विचार नहीं किया था, जिन पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के आवेदन को नामंजूर करते समय विस्तारपूर्वक विचार किया गया था ।

4.4 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2 को केवल यह मत व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की थी कि अभियोग एक कारबार के संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है । यह दलील दी गई कि केवल इस कारण कि यह एक कारबार संव्यवहार था, उच्च न्यायालय को अभिकथनों की प्रकृति पर आगे विचार किए बिना प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं करनी चाहिए थी ।

4.5 **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **प्रदीप शर्मा**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, अग्रिम जमानत के फायदे का हकदार नहीं है ।

4.6 यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि बाद में अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए एक आरोप पत्र फाइल किया गया था ।

4.7 उपरोक्त दलीलें देते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त

---

[1] (2014) 2 एस. सी. सी. 171.

विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह प्रार्थना की गई कि प्रस्तुत अपील को मंजूर किया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाए ।

5. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री देवाशीष भरूका ने अपीलार्थी का समर्थन किया और यह दलील दी कि प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथमदृष्ट्या मामला पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन एक आरोप पत्र भी फाइल किया गया था ।

6. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री अभिषेक ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने में कोई गलती कारित नहीं की है ।

6.1 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया था कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है । यह दलील दी गई कि केवल इस कारण कि चैक दिया गया था और वह अनादृत हो गया था, यह नहीं कहा जा सकता है भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन अपराध बनता है । यह दलील दी गई कि अधिक से अधिक मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन आ सकता है ।

6.2 यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त परिप्रश्न के लिए उपलब्ध था और इसलिए फरार होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

6.3 प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि इस प्रक्रम पर न्यायालय में केवल आरोप पत्र फाइल किया गया है किंतु विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है ।

7. हमने अपीलार्थी-मूल इत्तिलाकर्ता-शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल तथा राज्य की ओर हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल और प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने

वाले विद्वान् काउंसेल को सुना ।

7.1 यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए एक आरोप पत्र भी फाइल किया गया है । इस प्रकार, यह पाया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथमदृष्ट्या मामला है । अभिलेख पर यह आया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा बहुत पहले तारीख 19 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2019 को पारित किए गए आदेश के अनुसरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं । केवल उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सारण द्वारा एक सकारण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सारण द्वारा अग्रिम जमानत के आवेदन को नामंजूर करते हुए की गई सुसंगत मताभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं :–

> "अभिलेख का परिशीलन किया । इत्तिलाकर्ता प्रेम शंकर प्रसाद के टंकित आवेदन में यथा अभिकथित अभियोजन का पक्षकथन यह है कि इत्तिलाकर्ता गांधी चौक, छपरा में मां मेडीकल स्टोर के नाम से औषधियों का एक फुटकर दुकानदार है और याची उसका स्टाकिस्ट है जो मौना पाकरी में रजनीश फार्मा के नाम से अपना कारबार चलाता है । याची और इत्तिलाकर्ता के अच्छे संबंध थे, इसलिए इत्तिलाकर्ता ने याची को औषधि खरीदने के लिए चैक के माध्यम से 36,00,000/- रुपए दिए थे । जब अपेक्षित औषधियां इत्तिलाकर्ता को प्रदाय नहीं की गईं, तो इत्तिलाकर्ता ने अपने 36,00,000/- रुपए की मांग की, तो याची ने 10,00,000/- रुपए का तारीख 25 नवंबर, 2017 का चैक सं. 137063 दिया जो याची के केनरा बैंक पर देय था जिसे बैंक द्वारा 'अपर्याप्त निधि' के टिप्पण के साथ अनादृत कर दिया गया । उसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने तारीख 20 जून, 2018 को अपने धन की मांग की

किंतु याची के भाइयों ने इत्तिलाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया । याची के भाइयों ने यह भी धमकी दी कि पुलिस से संपर्क न किया जाए नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे । इस पर इत्तिलाकर्ता द्वारा छपरा टाउन पुलिस थाने में 2018 का मामला सं. 453 रजिस्ट्रीकृत किया गया और अन्वेषण अग्रसर हुआ ।

मामला डायरी का परिशीलन किया, जिससे यह प्रकट होता है कि पैरा 4 में इत्तिलाकर्ता का एक पुन:कथन है जिसमें उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । पैरा 8, 9, 10 और 11 में साक्षी अमित कुमार सिन्हा, अवधेश कुमार, धन्नु कुमार और उदय शंकर प्रसाद की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षा की गई है जिसमें उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । पैरा 16 में एसडीपीओ, सदर का पर्यवेक्षण टिप्पण है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियोजन का पक्षकथन सत्य पाया गया है । पैरा 23 में याची के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन आदेशिका जारी की गई है । पैरा 38 में साक्षी आशुतोष मिश्रा का कथन है जो कि एक औषधीय प्रतिनिधि है और उसने यह कथन किया है कि रजनीश श्रीवास्तव औषधियों का स्टाकिस्ट होने के कारण उसकी कंपनी की औषधियों को बेचता था जिसके अनुक्रम में उसने उससे 7,10,000/- रुपए की राशि उधार ली थी । जब उसने धन वापस देने के लिए कहा तो उसने पूर्वोक्त रकम का एक चैक जारी किया था जिसे बैंक द्वारा अपर्याप्त निधि के कारण अनादृत कर दिया गया था । पैरा 39 में एक अन्य साक्षी प्रमोद कुमार ठाकुर की परीक्षा की गई थी जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि इस याची रजनीश श्रीवास्तव ने भूमि का एक टुकड़ा खरीदने के बहाने 10,00,000/- रुपए की राशि उधार ली थी । जब उसने अपने धन को वापस करने की मांग की तो रजनीश श्रीवास्तव ने पूर्वोक्त रकम का एक चैक दिया जिसे बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया । मामले में अभी अन्वेषण चल रहा है ।

मामले के अभिलेख के परिशीलन से मेरा यह निष्कर्ष है कि इत्तिलाकर्ता ने इस याची को कतिपय औषधियों का प्रदाय करने के लिए अभिकथित रूप से 36,00,000/- रुपए की राशि दी थी और न तो औषधियों का प्रदाय किया गया और न ही कभी इस रकम का प्रतिदाय किया गया । स्वीकृत रूप से, याची को उक्त रकम एक मौखिक वचन के आधार पर दी गई थी चूंकि पूर्वोक्त प्रकथनों को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है, किंतु वास्तविकता यह है कि याची ने उक्त रकम का प्रतिदाय करने के लिए तारीख 25 नवंबर, 2017 का 10,00,000/- रुपए का एक चैक सं. 137763 जारी किया था जिसे इत्तिलाकर्ता द्वारा बैंक में जमा किया गया था किंतु वह अनादृत हो गया था । अभिलेख से मैंने यह भी पाया है कि याची विभिन्न व्यक्तियों से धन उधार लेने का आदी है और फिर अपने खाते में पर्याप्त अतिशेष के बिना चैकों को जारी करके उसका संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, जो मामला डायरी के पैरा 38 और 39 से प्रकट होता है ।"

7.2 गुणागुण के आधार पर उपरोक्त मताभिव्यक्तियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त फरार है और यहां तक कि बहुत पहले तारीख 10 जनवरी, 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त सुसंगत पहलुओं की अनदेखी कर दी और प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त को यह मत व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है । छल आदि करने के विनिर्दिष्ट अभिकथनों पर, जिन पर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा इन पर कतई विचार नहीं किया गया था । यहां तक कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करने के तथ्य की मात्र यह मत व्यक्त करते हुए कि "चाहे जैसी भी स्थिति हो" अनदेखी कर दी थी । अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए पूर्वोक्त सुसंगत पहलू की उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए थी और उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर अति गंभीरतापूर्वक न कि नैमित्तिक रूप

से विचार किया जाना चाहिए था ।

7.3 **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **प्रदीप शर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के निबंधनों के अनुसार फरार/उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, तो वह अग्रिम जमानत के अनुतोष का हकदार नहीं है । पैरा 14 से 16 में यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है :–

"14. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए संहिता की धारा 438 को निर्दिष्ट करना वांछनीय है जो निम्नलिखित है –

> '**438. गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश** – (1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् –
>
> (i) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता ;
>
> (ii) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या उसने पूर्व में किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भोगा है ;
>
> (iii) न्याय से भागने की आवेदक की संभाव्यता ;
>
> (iv) जहां अभियोग आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर उसे क्षति पहुंचाने या उसका अपमान करने के उद्देश्य से लगाया गया है, वहां या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा :

> परंतु यह कि जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, वहां किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले ।'

उपरोक्त उपबंध से यह स्पष्ट हो जाता है कि संहिता की धारा 438 के अधीन प्रयोक्तवय शक्ति कहीं न कहीं असाधारण प्रकृति की है और इसका प्रयोग केवल उन आपवादिक मामलों में किया जाना चाहिए जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाया जा सकता है या जहां यह अभिनिर्धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार हों कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी स्वाधीनता का अन्यथा दुरुपयोग किए जाने की संभावना नहीं है ।

15. अदरी धरन दास **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (2005) 4 एस. सी. सी. 303 वाले मामले में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 438 की व्याप्ति पर निम्न प्रकार से विचार किया था –

> '16. धारा 438 एक प्रक्रियात्मक उपबंध है जिसका सरोकार किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता से है जो निर्दोषिता का अभिवाक् करने का हकदार है, चूंकि वह संहिता की धारा 438 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवेदन की तारीख को उस अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं है जिसकी बाबत वह जमानत की ईप्सा करता है । आवेदक को अवश्य यह दर्शित करना चाहिए कि उसके पास यह 'विश्वास करने का कारण' है कि उसे किसी अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है । 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति के प्रयोग से यह दर्शित होता है कि यह विश्वास कि आवेदक को गिरफ्तार किया जा सकता है, अवश्य युक्तियुक्त आधारों

पर टिका होना चाहिए । मात्र 'डर' 'विश्वास' नहीं है, जिस कारण से आवेदक के लिए यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि उसे किसी प्रकार की अस्पष्ट आशंका है कि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अभियोग लगाने जा रहा है जिसके अनुसरण में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है । जिन आधारों पर आवेदक का यह विश्वास आधारित है कि उसे अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, वे परीक्षा किए जाने योग्य होने चाहिएं । यदि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को कोई आवेदन किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय को इस बात का विनिश्चय करना चाहिए कि क्या ईप्सित अनुतोष प्रदान करने के लिए मामला बनाया गया है या नहीं । इन उपबंधों का अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अवलंब नहीं लिया जा सकता है । साधारणतया कोई सर्वग्राही आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए । यह बात धारा की भाषा से ही पता चलती है जिसमें आवेदक से यह दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है । कोई विश्वास युक्तियुक्त आधारों पर केवल तब आधारित होना कहा जा सकता है यदि ऐसी कोई सुनिश्चित बात है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आवेदक की यह आशंका कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, असली है । प्रसामान्यत: इस आशय का निदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए कि आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा 'जब कभी उसे किसी प्रकार के किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है' । ऐसा 'सर्वग्राही आदेश' पारित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इससे कोई भी और किसी प्रकार की अभिकथित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को आच्छादित या संरक्षित करने की पूर्ति होगी । धारा 438 के अधीन आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की एक युक्ति है । यह न तो अपराधों को कारित करने का पासपोर्ट है और न ही संभाव्य या असंभाव्य कोई या सभी प्रकार के अभियोगों के विरुद्ध एक कवच है । इस मामले के

तथ्यों के आधार पर, ऊपर वर्णित विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए यह मामला प्रथमदृष्ट्या ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जहां संहिता की धारा 438 के निबंधनों के अनुसार कोई आदेश पारित किया जा सकता है ।'

16. हाल ही में, लवेश **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, दिल्ली), (2012) 8 एस. सी. सी. 730 वाले मामले में इस न्यायालय ने (जिसमें हम दोनों पक्षकार थे) ऐसे व्यक्ति को धारा 438 के अधीन अनुतोष प्रदान करने की व्याप्ति पर विचार किया था जिसे संहिता की धारा 82 के निबंधनों के अनुसार फरार या उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था । पैरा 12 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया –

'12. इन सामग्री और जानकारी से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपीलार्थी परिप्रश्न और अन्वेषण के लिए उपलब्ध नहीं था और 'फरार' घोषित किया गया था । सामान्य तौर पर, जब अभियुक्त 'फरार' है और 'उद्घोषित अपराधी' घोषित किया गया है, अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं है । हम यह दोहराते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था और फरार है या वारंट के निष्पादन से बचने के लिए स्वयं को छिपा रहा है और संहिता की धारा 82 के निबंधनों के अनुसार एक उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, वह अग्रिम जमानत के अनुतोष का हकदार नहीं है ।'

उपरोक्त विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को संहिता की धारा 82 के निबंधनों के अनुसार फरार/उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है तो वह अग्रिम जमानत के अनुतोष का हकदार नहीं है ।"

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाहियों की अनदेखी करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करके गलती कारित की थी ।

8. यहां तक कि जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए की गई इन मताभिव्यक्तियों का संबंध है कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है और इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार है, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है । किसी कारबार संव्यवहार के मामले में भी भारतीय दंड संहिता के अधीन विशिष्ट रूप से धारा 406, धारा 420, धारा 467 और धारा 468 इत्यादि के अधीन अपराध हो सकते हैं । जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है वह अभिकथन और अभियोग की प्रकृति है न कि यह कि अभियोग एक कारबार संव्यवहार से उद्भूत प्रकृति का है । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अभियुक्त को धारा 406 और धारा 420 इत्यादि के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया है ।

9. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए तारीख 14 अगस्त, 2019 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य है और अभिखंडित तथा अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नुसार अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । तथापि, प्रत्यर्थी सं. 2 को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने के लिए इस निर्णय के सुनाए जाने की तारीख से दो सप्ताह का समय दिया जाता है और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 अभियुक्त नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस पर विधि के अनुसार और इसके अपने गुणागुण के आधार पर विचार किया जा सकता है । तद्नुसार यह अपील पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.